बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: स्क्राइब की सुविधा का लाभ कौन उठा सकता है ?

उ. बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी जैसे दृष्टिहीन, लोकोमोटर अक्षमता (दोनों भुजा प्रभावित - बीए) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से प्रभावित उम्मीदवारों, को यदि वे चाहें तो, स्क्राइब की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (आर) में यथाउल्लिखित बेंचमार्क विकलांगता की अन्य श्रेणियों को भी स्क्राइब की सुविधा दी जाती है, यदि वे किसी सरकारी स्वास्थ्य संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / चिकित्सा अधीक्षक से निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दें कि संबंधित उम्मीदवार को लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है और उनकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए स्क्राइब अनिवार्य है।

प्रश्न 2: क्या आयोग उम्मीदवारों को स्क्राइब उपलब्ध कराएगा या उम्मीदवारों को अपना स्क्राइब स्वयं लाना होगा ?

उ. उम्मीदवारों के पास यह विवेकाधिकार है कि वे अपना स्क्राइब स्वयं ला सकते हैं या इसके लिए आयोग से अनुरोध कर सकते हैं।

प्रश्न 3: क्या स्क्राइब के लिए कोई निर्धारित योग्यता है ?

उ. आयोग के स्क्राइब तथा उम्मीदवार के स्वयं के स्क्राइब की योग्यता, संबंधित परीक्षा के न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मानदण्ड से अधिक नहीं होनी चाहिए (यथा - सिविल सेवा परीक्षा के मामले में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक)। तथापि स्क्राइब की योग्यता मैट्रिकुलेशन या उससे अधिक होनी चाहिए।

प्रश्न 4: क्या उम्मीदवार को परीक्षा से पूर्व अपना स्क्राइब बदलने की अनुमति है ?

उ. यदि कोई उम्मीदवार अपना स्क्राइब स्वयं लाने का विकल्प चुनता है और बाद में आयोग से इसे बदलने का अनुरोध करता है, तो ऐसे अनुरोध पर मामले के आधार पर विचार किया जाएगा।

प्रश्न 5: यदि कोई उम्मीदवार अपना स्क्राइब स्वयं लाता है, तो क्या आयोग उसे पारिश्रमिक का भुगतान करता है ?

उ. जी नहीं, यदि कोई उम्मीदवार अपना स्क्राइब स्वयं लाता है, तो आयोग उसे पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करता है।

प्रश्न 6: किसी दुर्घटनावश यदि उम्मीदवार का अपना स्क्राइब परीक्षा के दिन नहीं पहुँच पाता है, तो क्या आयोग उम्मीदवार के लिए स्क्राइब की व्यवस्था करेगा ?

उ. जी हाँ, आयोग उम्मीदवार के लिए स्क्राइब की व्यवस्था करेगा।

प्रश्न 7: यदि दुर्भाग्यवश किसी गैर - पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार का परीक्षा से पहले हाथ फ्रैक्चर हो जाता है तो क्या उसे स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी ?

उ. परीक्षा के नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी यह दोहराया जाता है कि कतिपय अक्षमता वाले उम्मीदवार, जिनके पास मौजूदा नियमों के अनुसार मान्य अक्षमता प्रमाण-पत्र है, वे ही स्क्राइब के लिए पात्र हैं।

प्रश्न 8: यदि किसी उम्मीदवार को राइटर्स क्रैम्प है, तो क्या उसे स्क्राइब की सुविधा प्राप्त होगी?

उ. यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

प्रश्न 9: प्रतिपूरक समय के लिए कौन-कौन पात्र है तथा कितना प्रतिपूरक समय दिया जाता है ?

उ. दृष्टिहीन, लोकोमोटर अक्षमता (दोनों भुजा प्रभावित-बीए) तथा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणी के पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को परीक्षा में 20 मिनट प्रति घंटा प्रतिपूरक समय दिया जाता है। पीडब्ल्यूबीडी की अन्य श्रेणियों के लिए इस सुविधा का लाभ, संबंधित उम्मीदवार द्वारा किसी सरकारी स्वास्थ्य संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / चिकित्सा अधीक्षक से निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दिया जाएगा कि उसकी लेखन क्षमता प्रभावित है।

प्रश्न 10: पीडब्ल्यूडी श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु में कितनी छूट प्राप्त है।

उ. किसी भी परीक्षा के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा (जहाँ भी लागू हो) में पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों अर्थात (i) दृष्टिहीन और अल्पदृष्टि, (ii) बधिर और ऊंचा सुनना (iii) लोकोमोटर अक्षमता, जिसमें प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, कुष्ठ उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित तथा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी शामिल है, (iv) ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता और मानसिक रूग्णता (V) खंड (i) से (iv) के अंतर्गत आने वाली एकाधिक विकलांगता, बधिर और दृष्टिहीन सहित, वाले उम्मीदवारों को अधिकतम 10 वर्ष की छूट है। पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों के वे उम्मीदवार जो अ.जा. या अ.ज.जा. या अ.पि.व. या पूर्व सैनिक है, दोनों श्रेणियों के अंतर्गत संचयी रूप से आयु में छूट के पात्र हैं।

प्रश्न 11: कौन-कौन से सहायक उपकरणों की अनुमति है ?

उ. उम्मीदवारों को जिन सहायक उपकरणों की अनुमति है, उनके विकल्प ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में दिए गए हैं। यदि अपेक्षित उपकरण उस सूची में नहीं दिया गया है, तो उम्मीदवार उसके संबंध में आयोग से अलग से अनुरोध कर सकता है ताकि उसपर विचार किया जा सके। ऐसे अनुरोध पर आयोग द्वारा मामले के अनुसार विचार किया जाएगा और उसकी सूचना उम्मीदवार को दे दी जाएगी।

प्रश्न 12: यदि कोई उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने समय कोई गलती कर देता है, तो क्या किया जाना चाहिए ?

उ. यदि उस परीक्षा का लिंक सक्रिय है तो उम्मीदवार को दूसरा प्रपत्र भरने की सलाह दी जाती है।

प्रश्न 13: क्या आयोग दृष्टिहीन अथवा अल्पदृष्टि से प्रभावित पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के उम्मीदवारों को बड़े फोंट की परीक्षण पुस्तिकाएं उपलब्ध करवाता है ?

उ. जी हाँ। दृष्टिहीन अथवा अल्पदृष्टि वाले पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में प्रश्न पत्र / पुस्तिका के लिए बड़े फोंट (एफ. 16) के चयन हेतु विकल्प दिया गया है।

प्रश्न 14: पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण के क्या प्रावधान हैं?

उत्तर. सरकार द्वारा यथा निर्धारित रिक्तियों के संबंध में पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी की रिक्तियों के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता, *"दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016"*में निर्धारित पात्रता के समान होगी। बहु विकलांगता वाले उम्मीदवार इस अधिनियम की धारा 34(1) की श्रेणी (ई) -'केवल बहु विकलांगताएं' के अंतर्गत आरक्षण के पात्र होंगे तथा विकलांगता की किसी अन्य श्रेणी अर्थात दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34(1) के खण्ड (क) से (घ) के अंतर्गत आरक्षण के लिए पात्र नहीं होंगे क्योंकि पीडब्ल्यूबीडी की उक्त उप-श्रेणियों में उनकी अक्षमता 40% तथा उससे अधिकहै।

प्रश्न 15: विभिन्न सेवाओं के लिए कार्यात्मक वर्गीकरण और शारीरिक अपेक्षाओं के संदर्भ मेंविशेष पात्रता मानदंड क्या हैं?

उत्तर. पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को कार्यात्मक वर्गीकरण और शारीरिक अपेक्षाओं (क्षमताएं/ अक्षमताएं) (एपसी एवं पीआर) के संदर्भविशेष पात्रता मानदंडपूरा करना होगा जोचिह्नित पद/सेवा

की अपेक्षाओं, उसके संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी (सीसीए) द्वारा यथानिर्धारित मानदण्डों के संगत हों। उदारहण के लिए: सिविल सेवा परीक्षा, 2021 में सम्मिलित होने वाली प्रत्येक सेवाओं के एफसी एवं पीआर संबंधी विवरण को इस परीक्षा की नियमावली के परिशिष्ट -IV में दर्शाया गया है और जिन्हें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 33 एवं 34 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा चिह्नित एवं निर्धारित किया गया है।

प्रश्न 16: पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों के कौन से व्यक्ति परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र हैं?

उत्तर. पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के अंतर्गत विकलांगता(ओं) की केवल उन पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी(यों) के उम्मीदवार उस परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे जिन श्रेणी(यों) के संबंध में परीक्षा नियमावली में उल्लेख किया गया है। अतः, संबंधित उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन करने से पहले, पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों के लिए परीक्षा नियमावली में उल्लिखित सभी प्रावधानों/ पात्रता मानदंडों को सावधानीपूर्वक और ध्यानपूर्वकअवलोकन लें।

प्रश्न 17: पीडब्ल्यूबीडी प्रमाण-पत्र धारित करने और सरकार द्वारा चिकित्सा परीक्षण के संबंध में क्या प्रावधान हैं?

उत्तर. पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों का पूर्व में परीक्षण हुआ होगा तथा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने से पहले भी संबंधित चिकित्सा प्रमाण-पत्र होने चाहिए। तथापि, यह स्पष्ट रूप से नोट किया जाए कि परीक्षा नियमावली के अनुसार निर्धारित चिकित्सा परीक्षण, पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों के लिए भी इसे शामिल करते हुए, अनिवार्य होगा और इस बात का मूल्यांकन करने के लिए कि, क्या पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी का उम्मीदवार नियुक्त किए जाने हेतु सभी अपेक्षाओं को पूरा करता है, केवल निर्धारित चिकित्सा बोर्ड का परिणाम मान्य होगा।

प्रश्न 18: क्या पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों के उम्मीदवार के मामले में श्रेणी परिवर्तन की अनुमति है?

उत्तर. पीडब्ल्यूबीडी की किसी उप-श्रेणी से संबंधित किसी भी उम्मीदवार को विकलांगता की उप-श्रेणी में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त, ऐसे उम्मीदवार के मामले में जो परीक्षा प्रक्रिया के दौरान पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार हो जाता है, तो ऐसे उम्मीदवार को पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों के लिए उपलब्ध आरक्षण के लाभों हेतु विचार किए जाने के लिए उस उम्मीदवार को, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के अंतर्गत यथापरिभाषित 40% तक या उससे अधिक की विकलांगता होने का मान्य प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

प्रश्न 19: सिविल सेवा परीक्षा में किसी पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार को मिलने वाले अनुमत प्रयासों की संख्या क्या है?

उत्तर.सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को अधिकतम 9 अवसरों की अनुमति है एवं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए अनुमत अवसरों की संख्या असीमित है, यदि वे अन्यथा पात्र हों।

प्रश्न 20: क्या एक पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार जो प्रतिपूरक समय अथवा स्क्राइब प्राप्त करने का पात्र हो, इस सुविधा को छोड़ सकता है?

उत्तर. जीहाँ, वह परीक्षा आरंभ होने से पूर्व भी प्रतिपूरक समय अथवा स्क्राइब की सुविधा का लाभ नहीं लेने का चयन कर सकता है।

प्रश्न 21: क्या पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार किसी परीक्षा/चयन के अंतर्गत सभी पदों/सेवाओं हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं?

उत्तर. जी नहीं, भारत सरकार में निहित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों को पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त पदों/सेवाओं को चिह्नित करना और आयोग से ऐसी रिक्तियों के लिए मांग करना अपेक्षित है। आयोग केवल उन रिक्तियों के लिए पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों की अनुशंसा करता है जो पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों हेतु उपयुक्त चिह्नित होती हैं और जिनकी मांग उम्मीदवारों की उस श्रेणी के लिए आयोग से की गई है।

प्रश्न 22: परीक्षा स्थल पर और व्यक्तित्व परीक्षण के समय पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को क्या सुविधाएं दी जाती हैं?

उत्तर. पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को मिलने वाली सुविधाएं निम्नलिखित हैं:

- आयोग पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त/अनुकूल परीक्षा स्थलों का ही उपयोग करने का हर संभव प्रयास करता है।
- यदि परीक्षा से ठीक पहले पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार किसी विशेष आवश्यकता/ सहायता के लिए अनुरोध करता है, उस उम्मीदवार को अनुमत मानकों के भीतर वह आवश्यकता/ सहायता दिये जाने के सभी प्रयास किए जाते हैं।
- व्यक्तित्व परीक्षण के दौरान, पीडब्ल्यूबीडी-III (श्रवण बाधित) उम्मीदवार से प्रोजक्टर के माध्यम से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उम्मीदवारों को मौखिक रूप से या लिखकर या टाइप करके उत्तर देने का विकल्प भी दिया जाता है।

- पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार जिन्हें किसी भी प्रकार की भौतिक सहायता जैसे व्हीलचेयर आदि या एस्कोर्ट करने में स्टाफ के साथ की आवश्यकता होती है, तो उन्हें यथासंभव ऐसी सुविधा प्रदान की जाती है।

प्रश्न 23: पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा-स्थल पर कौन-कौन से प्रमाण-पत्र/दस्तावेज ले जाने होंगे ?

उ. पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को उनके ई-प्रवेश-पत्र और फोटो पहचान-पत्र के अलावा कोई अन्य दस्तावेज साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, यदि उन्हें विशेष सहायक उपकरण या किसी प्रकार की विशेष सुविधा का इस्तेमाल करने की अनुमति प्राप्त है और उसका उल्लेख उनके ई-प्रवेश-पत्र में नहीं है, तो वे इस संबंध में आयोग द्वारा जारी पत्र का प्रिंट आउट साथ ले जाएं।

प्रश्न 24: सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पीडब्ल्यूबीडी प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं होने पर, क्या किसी पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार को किसी पद/सेवा के लिए पात्र माना जा सकता है?

उ. जी, नहीं। किसी भी पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार को आयोग की परीक्षाओं/चयनों के लिए आरक्षण/छूटों/शिथिलताओं के लाभ हेतु तभी पात्र माना जाएगा जब उसके पास मान्य अक्षमता प्रमाण-पत्र हो।

नोट :उपर्युक्त'प्राय: पूछेजाने वाले प्रश्नों' (एफएक्यू) के उत्तर, आयोग की परीक्षाओं के मौजूदा नियमों/ सरकार के संगत अनुदेशों के आधार पर तैयार किए गए हैं। अतः, इन परीक्षा नियमों/सरकार के अनुदेशों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप इन उत्तरों में भी परिवर्तन हो सकता है। उक्त परीक्षा नियमों/सरकार के संगत अनुदेशों तथा एफएक्यू में किसी भी कारण से किसी अंतर की स्थिति में परीक्षा नियम/सरकार के संगत अनुदेश मान्य होंगे।

******